न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुरामा धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

FTS-76/2013

राजकीय प्रयोजन

प्रकरण संख्या 42/2013
प्रविष्टि दिनांक 12.06.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

रामानन्द पुत्र श्रवण जाति माली निवासी गोलीपुरा, तहसील मालपुरा जिला टोंक

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—

1. राजकीय पेरोकार श्री रामप्रसाद कुमावत व श्री मजहर आलम एड0
2. श्री जितेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट

अभिशंषा दिनांक 24.08.2022

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 419 रकबा 49 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम टोरडी तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से रकबा 2.00 बीघा भूमि अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 के द्वारा श्री रामप्रकाश पुत्र देवालाल जाति कहार निवासी टोरडी को आवटित कर जरिये नामान्तकरण सं. 2237 से गैर खातेदारी दी गई थी। आवटित भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 3029 से हुई। आवटित भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय कर के नामा0 सं0 3088 से रामानन्द पुत्र श्रवण जाति माली निवासी गोलीपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड की गई। आवटिंत भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन [illegible] नामान्तकरण सं. 2237 से गैर खातेदारी व 3029 से खातेदारी व 3088 से विक्रय के नामा0 को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स अभिशंषा के साथ भिजवाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया किन्तु 22 अवसर देने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं किया गया प्रकरण में राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

रीडर
न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि खसरा नम्बर 419 रकबा 49 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम टोरडी राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से रकबा 2.00 बीघा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 को श्री रामप्रकाश पुत्र देवालाल जाति कहार निवासी टोरडी को जरिये नामान्तकरण सं. 2237 से गैर खातेदारी दी गई एंव भूमि के खातेदारी अधिकार नामान्तकरण सं. 3029 से दिये गये। आवटित भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय कर के नामा0 सं0 3088 से रामानन्द पुत्र श्रवण जाति माली निवासी गोलीपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड की गई। जबिक भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवण्टन दिनांक 01.02.1983 एवं भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 2237 एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 3029 एंव 3088 से विक्रय के नामा0 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे और ना ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज एंव जवाब पेश किया।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2066–69, नकल नामान्तकरण सं. 2237, 3029, 3088 व खतौनी बन्दोबस्त 2010–29 व आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010–29 में खसरा नम्बर 419 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 01.02.1983 को खसरा नम्बर 419 रकबा 49 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला में से 2.00 बीघा भूमि रामप्रकाश पु. देवालाल जाति कहार निवासी टोरडी को जरिये नामान्तकरण सं. 2237 से गैर खातेदारी दी गई एंव भूमि के खातेदारी अधिकार नामान्तकरण सं. 3029 से दिये गये। आवटित भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय कर के नामा0 सं0 3088 से रामानन्द पुत्र श्रवण जाति माली निवासी गोलीपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड की गई। जबिक भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं।

चूँकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010–29 में खसरा नम्बर 419 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। रामप्रकाश पुत्र देवालाल जाति कहार ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी और बाद मे खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 01.02.1983 को भूमि रामप्रकाश पुत्र देवालाल जाति कहार के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से
रीडर
न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

राजकीय प्रयो... र्थ

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि रामप्रकाश पुत्र देवालाल जाति कहार निवासी ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा जिला–टोंक को दिनांक 01.02.1983 को खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि वाके ग्राम टोरडी मे किया गया आवंटन तथा आवण्टन आदेश की पालना मे श्री रामप्रकाश पुत्र देवालाल जाति कहार के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 2237 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 3029 व विक्रय का नामा0 3088 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि वाके ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा जिला–टोंक को पुनः गैर मुमकिन नाला सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

रीडर
न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर,टोंक